प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 340 दण्ड प्रक्रिया संहिता **प्रकरण संख्या 20/2018 (CICMS : 2018/00035) गुरदित्ता सिंह पुत्र निरंजन सिंह** जाति जटसिख निवासी मोका तहसील कोटकपूरा जिला फरीदकोट(पंजाब) **बनाम** कुलदीप सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 1 गुरूसर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

04.04.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री तेजा सिंह अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री भजन लाल टाक उपस्थित नहीं हुए।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उन्होनें अप्रार्थी कुलदीप के खिलाफ इस आशय का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 340 दण्ड प्रक्रिया संहिता का पेश किया था उसने अपने पिता का अलग अलग नाम लिखकर दो बार ट्रांसफर एप्लीकेशन पेश की थी जो उसने नाम बदलकर अदालतवाला को धोखा देकर प्रस्तुत किया है इसलिए उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाये और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जावे। उक्त प्रकरण में कई तारीख पेशियों पर अप्रार्थी हाजिर नहीं आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त संदर्भ में कुलदीप सिंह के विरूद्ध दिनांक 10.09.2021 को एक एफआईआर नम्बर 0169/21 पुलिस थाना करणपुर मे दर्ज करवाई है, इसलिए वे अब इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। अगर इस प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना की है उनके द्वारा कुलदीप सिंह के विरूद्ध एक एफआईआर संख्या 0169/21 दिनांक 10.09.2021 को पुलिस थाना करणपुर में दर्ज करवाई जा चुकी है इसलिए वे अब इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। **इस आशय का प्रार्थना पत्र भी प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पेश किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:37:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्री गंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 340 दण्ड प्रक्रिया संहिता का यहां से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पूर्व प्रकरण संख्या 25/2015 एवं 45/2015 में भी शामिल की जाकर, जिला अभिलेखागार में पुनः जमा करवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:57:19 IST
Reason: SelfAttested